

17/6
22

वकील अथवा अध्यापक अथवा मूल वाड प्रवर्ग
O7R11 CPC व एपिडिग वार्ड 151 CPC स्वीकार
होने पर श्वारिज क्रिया जा चुका है मूलवाड
के वार्ड प्रवर्ग फ्र पोषणीय नहीं है अतः
मूलवाड के वार्ड प्रवर्ग फ्र पोषणीय नहीं
होने के कारण श्वारिज क्रिया जाता है
अथवा कभी के ललशुगा होकर संलग्न मूलवाड
रहे।

उपखण्डाधिकारी
धौलपर (राज)